<u>प्रेस नोट- दिनांक 31.01.2024</u>

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 2,000 - 2,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 2,000 - 2,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 05.07.2016 को वादी सरमन सिंह पुत्र स्व0 सुघर सिंह निवासी ग्राम नगला अनिया थाना जसवंतनगर द्वारा थाना जसवंतनगर पर उसके पुत्र की हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने के संबंध में मु0अ0सं0 257/2016 धारा 364 IPC पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवंतनगर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग सैल व ADGC श्री राजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 31.01.2024 को अन्तर्गत धारा 364 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ-10/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा 05 - 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 2,000 - 2,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

<u>सजायाफ्ता अपराधी-</u>

1.गौरव पुत्र होशियार सिंह निवासी कांशीपुर थाना सैफई जनपद इटावा।

2.राजवीर सिंह पुत्र महेश निवासी नहरा भोज थाना एरवा कटरा जमपद औरैया।

3.सतीश पुत्र शान्ती स्वरूप निवासी नगला अनिया थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।